च) ट्राउट फार्मिंग कार्य पूर्ण रूप से पूरक आहार आधारित व्यवसाय है। इस कार्य हेतु ट्राउट फार्मिंग स्थल पर आवश्यक पूरक आहार के सुरक्षित भण्डारण हेतु आवश्यकता अनुसार भण्डार कक्ष एवं नियमित कार्य करने वाले श्रमिकों के ठहरने हेतु आवास, व अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित समिति हेतु कार्यालय कक्ष का होना भी आवश्यक है। ट्राउट फार्मिंग स्थल पर उपरोक्त भवनों का निर्माण किस स्थल पर पर किया जायेगा, उसका मानचित्र पर स्पष्ट स्थान अंकित कर समिति की बैठक में रखकर सर्वसमिति से प्रस्ताव पारित करना।

छ) ट्राउट फार्मिंग हेतु आवश्यक जलापूर्ति के लिये नदी से फार्मिंग स्थल तक की लम्बाई एवं जलापूर्ति हेतु नहर/गूल/पाइपलाइन आदि जिस माध्यम से भी जलापूर्ति की जानी है का सम्पूर्ण विवरण समिति की बैठक में रखकर तद्नुसार प्रस्ताव पारित करना।

ज) ट्राउट फार्मिंग कार्य अन्तर्गत रेसवेज के निर्माण जलापूर्ति व्यवस्था सहित अन्य निर्माण कार्य के साथ–साथ प्रथम वर्षीय निवेश हेतु आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु समिति को बैंक आदि से ऋण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में समिति द्वारा किस बैंक/संस्था से ऋण प्राप्त किया जाना है, का पूर्ण विवरण तैयार कर समिति की बैठक में रखकर प्रस्ताव पारित करना।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के अनुरूप पारित प्रस्ताव को प्रत्येक प्रस्ताव से सम्बन्धित समस्त संलग्नकों सहित प्रोजेक्ट के साथ आवदेन पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी की संस्तुति सहित प्रस्ताव मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। प्राप्त प्रस्ताव के निरीक्षण उपरान्त सही पाये जाने पर निदेशालय स्तर से स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ऋण स्वीकृति हेतु सम्बन्धित बैंक को प्रेषित किया जायेगा। प्रस्तावनुसार बैंक से स्वीकृति के प्राप्त होने के उपरान्त देय अनुदान की धनराशि बैंक को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसमें इनपुट की धनराशि को छोड़कर निर्माण कार्य सम्बन्धी धनराशि को निर्धारित तीन किस्तों में बैंक द्वारा विभागीय संस्तुति के आधार पर समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निवेश की धनराशि विभागीय संस्तुति के उपरान्त समिति को बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

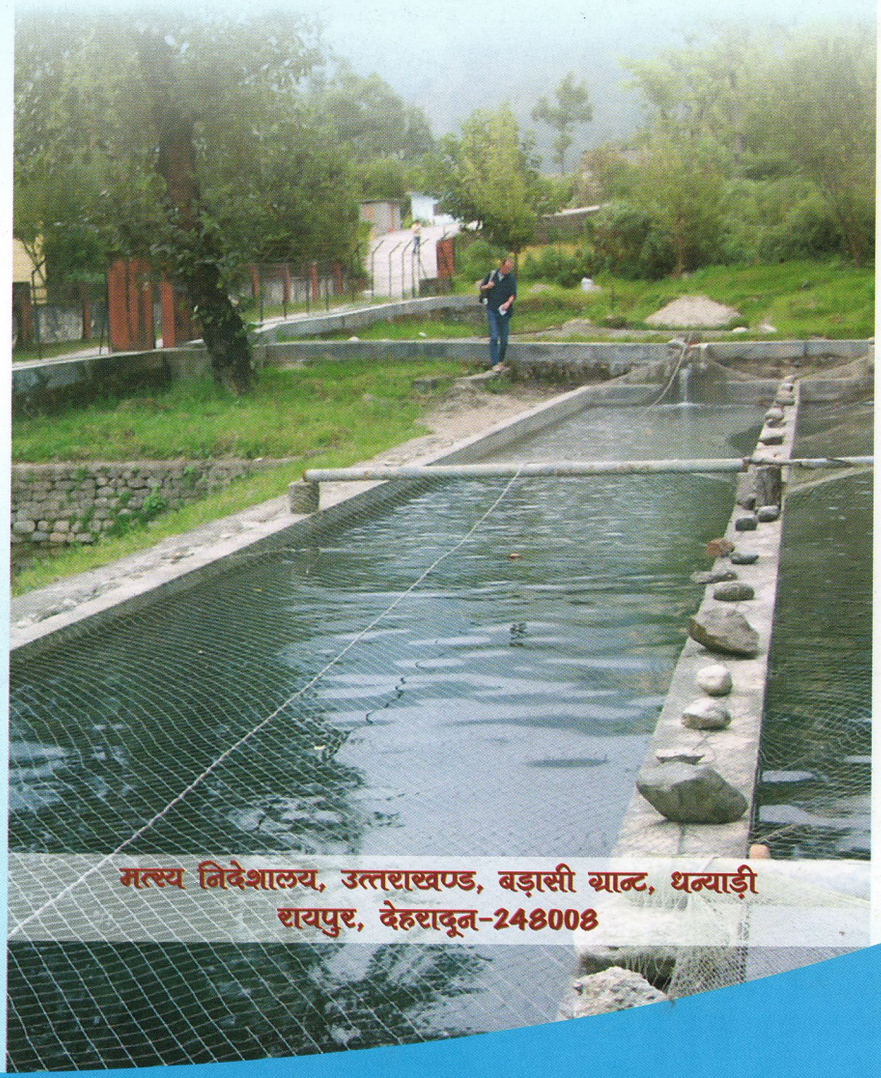

मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड, बड़ासी ग्रान्ट, थन्याड़ी
रायपुर, देहरादून-248008

info.fisheriesuk@gmail.com

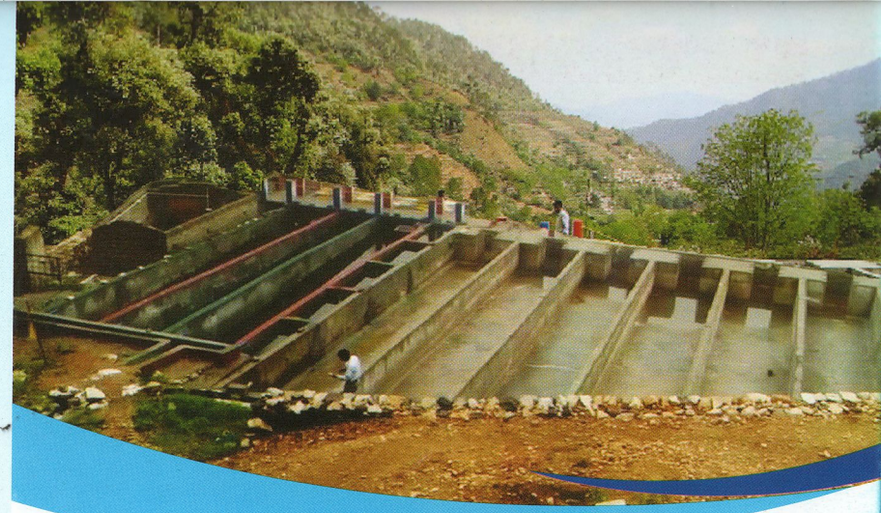

सहकारिता के माध्यम से कलस्टर आधारित

ट्राउट फार्मिंग

उत्तराखण्ड सरकार

कलस्टर प्रबंधन

समिति के सदस्यों की एक स्थान पर उपलब्ध निजी भूमि अथवा 20 वर्ष से अधिक की लीज पर ली गई पंचायती/सरकारी भूमि पर कम से कम 20 ट्राउट रेसवेज का निर्माण कर ट्राउट फार्मिंग का कार्य करना तथा उनके द्वारा सामान्यता इनपुट संसाधनों एंव अन्य संसाधनों को एक दूसरे से सांझा किया जाना है कलस्टर एक स्वैच्छिक संगठन का ढांचा है।

कलस्टर प्रबंधन का सन्दर्भ ऐसे ट्राउट फार्मिंग से है जो एक ही स्थान पर ट्राउट फार्मिंग करते हैं और उत्पादन के लिए सामूहिक तौर पर समान मानकों को अपनाते हैं।

कलस्टर प्रबंधन का प्रयोग एक पद्वति के रुप में (BMP) **"बेहतर प्रबंधन तरीकों"** के उपयोग को सुगम बनाने के लिए सफलतापूर्वक किया जाता है।

अतः कलस्टर प्रबंधन के द्वारा स्वःनियम की व्यवस्था के उपयोग से ट्राउट फार्मिंग एंव प्रसंस्करण में मानकों को स्थापित करना और उच्च गुणवक्ता युक्त जलकृषि को स्थानिय क्षेत्रों में बढावा देना है।

कलस्टर प्रबंधन के लाभ

- कलस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग करने से निर्माण एवं उत्पादन लागत कम करना।
- उत्पादन के लिए उच्च मानकों का उपयोग।
- विश्वसनीय उत्पादन।
- रोग से संबंधित नुकसान कम करना।
- खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन।
- बडे बाजारों तक आसानी से पहुँच।

समिति के पंजीकरण के उपरान्त सहकारिता के माध्यम से कलस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग प्रारम्भ किये जाने हेतु समिति द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है-

1. ट्राउट फार्मिंग हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व अभिलेख (खसरा/खतौनी आदि की नकल) राजस्व विभाग से प्राप्त करना।
2. ट्राउट फार्मिंग हेतु चिन्हित भूमि का सीमांकन करना व चिन्हित भूमि के भू–स्वामियों के भूमियों का क्षेत्रफल सहित सूची तैयार करना।
3. तैयार सूची के अनुसार भू–स्वामी सम्बन्धी समितियों के सदस्यों से प्रश्नगत भूमि को कम से कम 29 वर्ष हेतु वार्षिक रेंट/किराये पर समिति को देने का सहमति पत्र प्राप्त करना।
4. ट्राउट फार्मिंग हेतु चिन्हित भूमि का ले–आउट (Layout) जिसमें कम से कम 20 रेसवेज के निर्माण व स्टोर/कार्यालय भवन का डिजायन के साथ–साथ जलापूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था के अतिरिक्त भविष्य में होने वाले कार्यो की कार्य योजना तैयार करना।
5. उपरोक्त कार्यो के उपरान्त सहकारिता के माध्यम से कलस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग कार्य को किये जाने हेतु समिति के माध्यम से निम्नांकित प्रस्ताव पारित करना:–

क) समिति के पास कुल भूमि.....हैक्टेयर उपलब्ध है, जिसका भू–स्वामी सहित विवरण बिन्दुवार निम्नवत् है:–

क्रं० सं०	भू स्वामी / समिति के सदस्य का नाम, पिता का नाम एवं पता	खसरा नं०	क्षेत्रफल (है० में)	अन्य विवरण

उपरोक्त भू–स्वामियों द्वारा लिखित रूप से (स्टॉम पेपर पर) यह लिख कर दिया गया है कि 'कलस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग हेतु चिन्हित भूमि मेरे द्वारा स्वेच्छा से समिति को दी जा रही है, जिस पर आतिथि से करार की तिथि तक निर्धारित शर्तो के अनुसार पूर्ण अधिकार समिति का होगा' सम्बन्धी प्राप्त सहमति पत्र पर चर्चा की गयी। समति को ट्राउट फार्मिंग हेतु उपरोक्तानुसार भूमि उपलब्ध कराने वाले भू–स्वामियों का धन्यवाद करते हुये प्रश्नगत भूमि को आगामी 29 साल तक समिति के नाम बन्धक कराये जाने का प्रस्ताव सहर्ष पारित करना।

ख) ट्राउट फार्मिंग हेतु उपलब्ध भूमि को राजस्व विभाग से यथाशीघ्र 29 वर्ष तक बन्धक बनाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ कर बन्धक पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित करना।

ग) ट्राउट फार्मिंग हेतु रेसवेज निर्माण जलापूर्ति व्यवस्था एवं निवेश आदि कार्यो के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना के अनुसार कार्य करने का प्रस्ताव पारित करना।

घ) बैठक में सर्वसमिति से यह प्रस्ताव पारित करना कि कलस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग हेतु समिति के जिन सदस्यों द्वारा निजी भूमि समिति को दी गयी है उन्हें रू0. .....प्रति नाली प्रतिवर्ष की दर से दी गयी भूमि का किराया दिया जायेगा।

ङ) वेतनभोगी कार्मिक ट्राउट रेसवेज में मत्स्य बीज संचय की तिथि से रखे जायेगें। इस कार्य हेतु समिति के सदस्य भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे समिति के सदस्य को फार्म पर काम करने हेतु समिति के सदस्य के स्थान पर वेतनभोगी कार्मिक की श्रेणी में माना जायेगा तथा उसे अन्य वेतनभोगी कार्मिक के अनुसार ट्राउट फार्मिंग कार्य के कुशल प्रबन्धन अन्तर्गत नियमित जलापूर्ति व्यवस्था, ट्राउट रेसवेज में पोषित ट्राउट मछलियों को नियमित आहार देना, रेसवेज की सफाई करना, मछलियो को उनके आकार के अनुसार अलग–अलग टैंकों में स्थानान्तरित करना आदि महत्वपूर्ण कार्य को सम्पादित करना होगा, सम्बन्धी प्रस्ताव पारित करना।